रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 26, 2019/फाल्गुन 7, 1940
No. 140] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 26, 2019/PHALGUNA 7, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2019

सं. 12 /2019-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 156(अ).—जहां कि मलेशिया (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "टैक्सचर्ड टेम्पर्ड कोटेड और अनकोटेड ग्लास, जिसका ट्रासंमिशन कम से कम 90.5% हो और जिसकी मोटाई 4.2 एमएम (0.2 एमएम सहिष्णुता समेत) से अधिक न हो और जिसका कम से कम एक आयाम 1500 एमएम से अधिक हो, चाहें ये कोटेड हों अथवा अनकोटेड" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) और जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 7007 19 00 या 7007 21 90 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्ष में, जिसे फा.सं.6/45/2017/डीजीएडी, दिनांक 17 जनवरी, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि विषयगत वस्तु का विषयगत देश से सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर आयात किया गया है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है और यह क्षति जांच की अवधि के दौरान विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं से फालतू आयात के कारण हुई है और उन्होंने इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अत:, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा

9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट अधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, उक्त विषयगत वस्तुओं, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद के अंतर्गत आती है जो कि नीचे सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित, जो कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट उत्पादकों के द्वारा उत्पादित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

तालिका

क्रम सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादक देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	70071900 और 70072190	टैक्सचर्ड टफेंड (टेम्पर्ड) ग्लास अर्थात टैक्सचर्ड टफेंड (टेम्पर्ड) ग्लास ट्रांसमिशन कम से कम 90.5% हो और जिसकी मोटाई 4.2 एमएम (0.2 एमएम की सहिष्णुता समेत) से अधिक न हो और जिसका कम से कम एक आयाम 1500 एमएम से अधिक हो, चाहें ये कोटेड हों अथवा अनकोटेड	मलेशिया	चीन से भिन्न कोई भी देश	मैसर्स झिंगयी सोलर एसडीएन. बीएचडी, मलेशिया	शून्य	अमेरिकी डॉलर/ मैट्रिक टन
2.	70071900 या 70072190	-तदैव-	मलेशिया	चीन से भिन्न कोई भी देश	मैसर्स झिंगयी सोलर एसडीएन. बीएचडी, मलेशिया से भिन्न अन्य कोई भी उत्पादक	114.58	अमेरिकी डॉलर/ मैट्रिक टन
3.	70071900 या 70072190	-तदैव-	मलेशिया और चीन से भिन्न अन्य कोई भी देश	मलेशिया	कोई भी	114.58	अमेरिकी डॉलर/ मैट्रिक टन

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फा. सं. 354/30/2019-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2019

No. 12/2019-Customs (ADD)

G.S.R. 156(E).—Whereas, in the matter of "Textured Tempered Coated and Uncoated Glass with a minimum of 90.5% transmission having thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff item 7007 19 00 or 7007 21 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from Malaysia (hereinafter referred to as subject country), and imported into India, the Designated Authority in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, vide F. No.6/45/2017-DGAD, dated the 17th January, 2019, has come to the conclusion that the subject goods has been exported to India from subject country below their normal values and consequently, the domestic industry has suffered material injury and that the material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject country during the Period of Investigation, and has recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry for a period of five years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country of origin as specified in column (4), exported from the country as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in currency and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely:-

Table

S.No.	Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty Amount	Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	7007 19 00 or 7007 21 90	Textured Toughened (Tempered) Glass *means* Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission having thickness not exceeding` 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated	Malaysia	Any Country other than China	M/s Xinyi Solar Sdn. Bhd. Malaysia	Nil	US$/MT
2.	7007 19 00 or 7007 21 90	-do-	Malaysia	Any Country other than China	Any Producer other than M/s Xinyi Solar Sdn. Bhd., Malaysia	114.58	US$/MT
3.	7007 19 00 or 7007 21 90	-do-	Any Country other than Malaysia and China.	Malaysia	Any	114.58	US$/MT

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/30/2019-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.02.27 17:45:24 +05'30'